

लीज़ के आधार पर परिसर को प्राप्त करने के लिये निविदा दस्तावेज प्रारूप

सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ न्यू चंडीगढ़ (जिला मोहाली) शाखा कार्यालय परिसर (वर्तमान शाखा) के लिए हितबद्ध स्वामियों/ पावर ऑफ अटॉर्नी के धारकों से न्यू चंडीगढ़ में, जिसमें परिसर के लिए उचित सामने प्रवेश की सुविधा के साथ साथ 40 KVA पावर कनेक्शन एवं पर्याप्त पार्किंग सही सभी सुविधाओं से युक्त भूमि तल को प्राथमिकता हो, 1000-1500 वर्ग फीट ($\pm 20\%$) के कार्पेट एरिया के लिए लंबी अवधि के पट्टे के आधार पर उचित परिसरों के लिए सील बंद निविदाएँ चंडीगढ़ आमंत्रित करता है.

वरीयता परिसर: निकट क्लॉकटन हार्ड स्ट्रीट, ओमेक्स सिटी, फेस 1 न्यू चंडीगढ़ जिला मोहाली शाखा।

तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के प्रारूपों को बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in से डाउनलोड किया जा सकता है. ये प्रारूप हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, IIInd फ्लोर, एस सी ओ 58 - 59, बैंक स्क्वायर, सेक्टर 17 B, चंडीगढ़ में उपलब्ध हैं और इन्हें कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है. पूर्वअर्हता के लिये न्यूनतम मानदंड निम्नलिखित हैं:-

- अ. आवेदनकर्ता परिसर का वास्तविक मालिक या पावर ऑफ अटॉर्नी धारक होना चाहिये.
- आ. आवेदनकर्ता पैन नं. के साथ आयकर दाता होना चाहिये और उसके टैक्स रिटर्न अद्यतन होना चाहिये.
- इ. इमारत सक्षम विकास प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार निर्मित होनी चाहिये. इमारत का उचित रखरखाव होना चाहिये और 20 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिये.
- ई. परिसर भूमि तल/पहली मंजिल पर उचित पहुँच और पूर्ण पार्किंग के साथ अच्छे आवासीय/वाणिज्यिक इलाके में स्थित होना चाहिये.
- उ. इमारत विशेष खतरों जैसे आग, जल जमाव, बाढ़ आदि से मुक्त होनी चाहिये.
- ऊ. इमारत में 24 घंटे पानी की पर्याप्त सप्लाई होनी चाहिए एवं स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों की उचित अनुमति/स्वीकृति मालिक के पास होनी चाहिए.
- क. मकान मालिक को नगर पालिका के अन्य, निगम और साथ में राजस्व अधिकारियों के सभी देयों और अन्य वैधानिक दायित्वों को स्पष्ट होने चाहिये.
- ख. स्थानीय अधिकारियों से परिसर को पट्टे पर देने के लिए परिसर का अधिभोग प्रमाण पत्र (फ्लैट की स्थिति में) उपलब्ध होना चाहिये.
- ए. मकान मालिक बैंक की जरूरतों के हिसाब से बदलाव/ करने के बाद खाली जगह को देने की स्थिति में होना चाहिए.

1. निविदा प्रस्तुत करने का तरीका : निविदा केवल मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी है.

निविदा लिफाफे में तीन भाग होने चाहिए.

पहला कवर - तकनीकी बोली कवर - इस कवर में आवेदन का भाग-1 विधिवत सभी पृष्ठों में भरा बोलीदाता(ओं) द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ हस्ताक्षरित होना चाहिए. लिफाफा बंद, मुहरबंद होना चाहिये और उस पर "न्यू चंडीगढ़ जिला मोहाली शाखा परिसर के लिये तकनीकी बोली(अनुलग्नक अ के अनुसार)" लिखा होना चाहिये और लिफाफे पर बोलीकर्ता का नाम और पता लिखा होना चाहिये.

दूसरा कवर - वित्तीय बोली कवर - इस कवर में आवेदन का भाग-2 विधिवत सभी पृष्ठों में भरा, आवश्यक संलग्नकों के साथ बोलीदाता(ओं) द्वारा हस्ताक्षरित, शामिल करना चाहिये. लिफाफा बंद, मुहरबंद होना चाहिये और उस पर "न्यू चंडीगढ़ जिला

मोहाली शाखा परिसर के लिये वित्तीय बोली(अनुलग्नक व के अनुसार)" लिखा होना चाहिये और लिफाफे पर बोलीकर्ता का नाम और पता लिखा होना चाहिये.

तीसरा कवर - दोनों पहला और दूसरा लिफाफा तीसरे कवर में डालने हैं और ऊपर लिखना है "न्यू चंडीगढ़ जिला मोहाली शाखा परिसर के लिये मुहरबंद निविदा" और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, IInd फ्लोर, एस सी ओ 58 - 59, बैंक स्क्वायर, सेक्टर 17 B, चंडीगढ़ को प्रेषित करना है.

2. निविदा प्रस्तुत करने की आखिरी तिथि : 30-11-2023, 16:00 बजे तक

3. प्रस्तुत करने का स्थान : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, IInd फ्लोर, एस सी ओ 58 - 59, बैंक स्क्वायर, सेक्टर 17 B, चंडीगढ़

4. निश्चित अवधि के दौरान बैंक द्वारा घोषित की गयी तिथि पर निविदा क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में खोली जाएगी.

5. बोली लगाने वाले को यह सुनिश्चित करना है कि निविदा बैंक द्वारा निर्धारित तिथि और समय से पहले प्राप्त हुई है, डाक या किसी भी तरह की होने वाली देरी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को रद्द माना जा सकता है और निर्णय बैंक के विवेकाधिकार पर है.

6. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी निविदाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार है और बैंक को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी भी उचित तकनीकी बोलीदाता को ऑर्डर दे सकती है चाहे उसकी बोली निम्नतम न हो यदि वह उचित लगता हो.

7. केवल बिना शर्तों वाली निविदाएँ ही स्वीकार की जाएँगी. कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकृति के लिये उत्तरदायी होगी. कोई भी बोलीदाता किसी भी हालत में वित्तीय निहितार्थ लगाने के इच्छुक उचित रूप से निविदा लोड कर सकता है और निविदा में किसी भी हालत में शर्त नहीं नहीं रखा जाना चाहिये.

8. बैंक अपनी आवश्यकता के अनुरूप तकनीकी बोली निविदा में दी गयी सूचना के आधार पर प्रस्ताव का चयन करेगा. जैसे ; प्रस्तावित स्थल का स्थिति, प्रस्तावित परिसर का क्षेत्र, प्रमुख रोड से पहुँच, उपलब्ध कराई जाने वाली पार्किंग जगह, सुविधाएँ एवं अन्य उपलब्ध निर्माण (जैसे लिफ्ट, डीजी साईट का बैकअप आदि) एवं तकनीकी बोली में दी गयी आवश्यक सुविधाएँ.

9. वित्तीय बोली तकनीकी बोली के आधार पर प्रस्ताव चयन करने के बाद खोला जाएगा. वित्तीय बोली भविष्य तिथि पर केवल चयनित प्रस्तावों के लिये ही खोला जाएगा और बाद की किसी तिथि पर चयनित बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा.

10. बैंक का सम्बंधित प्रस्ताव चयन करने का निर्णय अंतिम होगा.

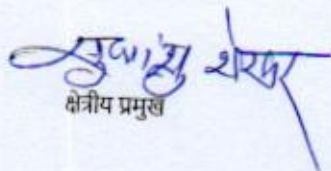
11. विवाद के मामले में बैंक का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा.

12. किराया : बैंक कब्जा लेने के बाद की तिथि से किराया मकान मालिक को भुगतान करना शुरू करेगा. कब्जा लेने से पहले, यह सुनिश्चित होना चाहिए कि उचित प्राधिकारियों से आवश्यक धारण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए एवं मकान मालिक के द्वारा बदलाव करने के लिए सहमत हों जो बदलाव वास्तव में बैंक की संतुष्टि के लिए किये जायेंगे. लिया गया परिसर का संयुक्त मापन भूतल क्षेत्र पर आधारित होना चाहिए.

13. पट्टे के दस्तावेजों का निष्पादन: एक बार परिसर बैंक द्वारा लीज़ पर ले लिया जायेगा, लीज़ डीड बैंक के मानक पट्टा प्रारूप के अनुसार निष्पादित किया जाएगा और यह सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा पंजीकृत किया जाएगा. पंजीकरण से सम्बंधित स्टाम्प ड्यूटी शुल्क मकान मालिक और बैंक के मध्य 50:50 के आधार पर वहन किया जाएगा.

14. बयाना राशि रु. बोली लगाने के लिए 5000 रुपये का भुगतान करना होगा। असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि प्रक्रिया पूरी होने के 1 महीने के भीतर वापस कर दी जाएगी। यदि प्रक्रिया पूरी होने के बाद सफल बोलीदाता पीछे हट जाता है तो उसकी अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिये,


क्षेत्रीय प्रमुख